

**न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर**  
**(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)**

**फाइलिंग नंबर 235103003152013**

**दांडिक प्रकरण क्र.-531/13**

**संस्थापित दिनांक-30.12.13**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-<br>आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।<br><span style="float: right;">.....अभियोजन</span>    |                                  |
| <b>विरुद्ध</b>   |                                  |
| 01-बबलू आदिवासी पुत्र दलपा आदिवासी उम्र 25 साल<br>निवासी देवलखो चंदेरी।<br><span style="float: right;">.....आरोपी</span> |                                  |
| राज्य द्वारा   | :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। |
| आरोपी द्वारा   | :- श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता।     |

**:- निर्णय :-**

**(आज दिनांक 02.03.2017 को घोषित)**

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324, 323, 341, 506 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 341, 506बी के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी वीरसिंह ने दिनांक 24.10.13 को आरक्षी केन्द्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को जब वह घर से जंगल जा रहा था तब रास्ते में पीतम के घर के पास रास्ते में बबलू कुल्हाड़ी लिए मिला। उसने उसका रास्ता रोककर कहा कि पिताजी से झगडा क्यों करता है तब उसने कहा कि वह भी तो उससे लडता है। तब उसने उसको कुल्हाड़ी मारी जिससे उसे ढेडे तरफ माथे पर लगी और खून निकलने लगा। एवं कुल्हाड़ी की मूंद से मारा जिससे मुंदी चोट आई। गांव के लोगों ने घटना देखी और फिर वह कहने लगा कि आज तो बच गया अब की बार अकेला मिला तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 376/13 के अंतर्गत भादवि की धारा 323, 324, 341, 506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 341, 324, 506बी के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 24.10.13 को समय करीब 3.30 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम देवल खो में प्रीतम के घर के पास सड़क पर आम रास्ते पर फरियादी/आहत वीरसिंह को धारदार हथियार असन या भेदन उपकरण कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 वीरसिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 वीरसिंह ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसकी आरोपी से कहासुनी हो गई थी एवं धक्का मुक्की हो गई थी जिसमें वह गिर गया था एवं उसे चोट आई थी। उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि उसने प्रपी 04 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसे कुल्हाड़ी से मारा था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 05 पुलिस को देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी की धारदार हथियार/कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे उपहति कारित की गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)